



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-26022026-270523
CG-RJ-E-26022026-270523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 987]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 987]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1031(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (5) उल्लेखित जिलों के सम्बंध में राजस्थान में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में स्तम्भ (2) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तम्भ (3) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये क्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सवाईमाधोपुर – गुड्स यार्ड के लाइन नंबर 1,2,3,4 और 5 के पुनःविन्यास (रीमॉडलिंग) की सी.एस.एल./सी.एस.आर बढ़ाने हेतु।	उपखंड अधिकारी, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर

[कम्प्यूटर न. 354450/फा. सं. ई.-पमरे-कोटा0इंजीनीरींग(एसएलएम1)/2/2025-वरी. मंडल इंजी.(सम०)/कोटा/पमरे]
महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय)

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 23rd February, 2026

S.O. 1031(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Amendment Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Railway Project of in the State of Rajasthan relating to Sub- Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Railway Project.

TABLE

	Name of Projects	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sawai Madhopur – SWM Station :- Remodelling Goods Yard Line No. 1, 2, 3, 4 & 5 to Increase CSL/CSR.	Sub Divisional Officer, Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur

[Computer No. 354450/F. No. WCR-KOTA0ENGG(SLM1)/2/2025-O/o Sr. DEN(Co)/KOTA/WCR]

MAHENDRA SINGH, Senior Divisional Engineer (Coordination)